उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 | अंक 4 | 16-28 फरवरी 2023 | ₹ 20/-

खरबों रुपये की संपत्ति को लेकर केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड में टकराव

- टीपू सुल्तान के नाम पर नया विवाद
- कराची में पुलिस मुख्यालय पर आतंकी हमला
- सऊदी अरब और इराक के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर
- दाढ़ी काटने के आरोप में चार छात्र निष्कासित

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

खरबों रुपये की संपत्ति को लेकर केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड में टकराव 04
औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने को केंद्र की मंजूरी 06
हरियाणा में दो मुस्लिम युवकों की मौत पर मचा बवाल 07
सरकार से हाजियों को सऊदी रियाल न मिलने पर विवाद 10
टीपू सुल्तान के नाम पर नया विवाद 11

विश्व

कराची में पुलिस मुख्यालय पर आतंकी हमला 13
ईरान का राजदूत जर्मनी से निष्कासित 14
जापान अमेरिका से मिसाइल खरीदेगा 15
चीन द्वारा पाकिस्तान को 58 हजार करोड़ का कर्ज 15
अमेरिका द्वारा यूक्रेन के लिए 450 मिलियन डॉलर की सहायता 16

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब और इराक के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर 17
ईरान और चीन के बीच समझौते 17
ईरान की परमाणु शक्ति में वृद्धि से अमेरिका परेशान 18
सीरिया पर इजरायल का मिसाइल हमला 19
सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले को ईरान ने दिया ईनाम 20

अन्य

दाढ़ी काटने के आरोप में चार छात्र निष्कासित 21
शाहजहां की कब्र पर 1480 मीटर लंबी चादर 21
मोटे लोगों के हज करने पर पाबंदी 22
बिहार में मदरसों के अनुदान पर रोक 22
केरल के मुख्यमंत्री द्वारा तीन तलाक का समर्थन 22

सारांश

देश की राजधानी दिल्ली में 123 बहुमूल्य संपत्तियों की मिल्कियत का विवाद एक बार फिर से गरम हो रहा है। उर्दू अखबारों के अनुसार केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दो सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट को समक्ष रखते हुए इन संपत्तियों से दिल्ली वक्फ बोर्ड को बेदखल करने का फैसला किया है और इस संबंध में वक्फ बोर्ड को भी सूचित कर दिया गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने इस फैसले को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक बताया है और कहा है कि ये संपत्तियां मुसलमानों की मिल्कियत हैं, जिनमें मुख्य तौर पर मस्जिदें, दरगाहें और कब्रिस्तान आदि शामिल हैं और ये दशकों से वक्फ बोर्ड की निगरानी में हैं।

गौरतलब है कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी, जब 2014 में लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने यह फैसला किया था कि भूमि और विकास कार्यालय के नियंत्रण में जो 123 अचल संपत्तियां हैं, उनकी मिल्कियत वक्फ बोर्ड को सौंप दी जाए। कांग्रेस ने यह फैसला चुनावों में मुसलमानों के वोट बटोरने के लक्ष्य से किया था। इस फैसले को विश्व हिंदू परिषद ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के हवाले कर दिया था और यह निर्देश दिया था कि विभिन्न पक्षों से बातचीत करके इस मामले को सुलझाया जाए। केंद्र सरकार ने दो सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसने अब यह सिफारिश की है कि ये अचल संपत्तियां केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत होनी चाहिए।

खास बात यह है कि जब 1911 में दिल्ली देश की राजधानी बनाई गई, तो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इन 123 अचल संपत्तियों का अधिग्रहण किया था। ये अधिकांश संपत्तियां मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और उनसे लगी हुई भूमि के रूप में हैं। ये सभी संपत्तियां क्योंकि नई दिल्ली के सबसे पॉश और महंगे इलाकों में स्थित हैं, इसलिए आज के बाजार भाव के अनुसार इनका मूल्य हजारों करोड़ रुपये आंका जाता है।

कुछ कट्टरपंथी संगठन जानबूझकर देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनावों में इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। हाल ही में राजस्थान के दो युवक हरियाणा के भिवानी में एक वाहन के अंदर जले हुए मृत पाए गए। इन युवकों के परिवारजनों के दबाव पर राजस्थान पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी, ताकि इस बात का पता लगाया जाए कि इन दोनों मुस्लिम युवकों की मौत किन परिस्थितियों में हुई है। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इनकी हत्या में बजरंग दल से संबंधित कुछ लोगों का हाथ है। उनका आरोप है कि गोतस्कर समझकर इन दोनों नौजवानों को पहले पीटा गया और बाद में वाहन में आग लगाकर उनकी हत्या कर दी गई। जबकि स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ये दोनों युवक जब अपने वाहन से भागने का प्रयास कर रहे थे, तो उनकी टक्कर एक ऑटो रिक्शा से हो गई, जिसके कारण वाहन पलट गई और उसमें आग लगने के कारण इन दोनों युवकों की जलकर मौत हो गई। मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन सांप्रदायिक रंग देकर इस मामले को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेवात में शांति व्यवस्था को बिगड़ता देख प्रशासन ने सोशल मीडिया और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पाकिस्तान ने आतंकवाद का जो भस्मासुर पैदा किया था, वह अब उसी के लिए सिरदर्द बन गया है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस के खिलाफ हिंसक कार्रवाईयां तेज कर दी हैं। हाल ही में पेशावर की पुलिस लाइन की एक मस्जिद में हुए धमाके में सौ से अधिक पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके बाद इन आतंकियों ने कराची पुलिस मुख्यालय पर हमला करके वहां पर अनेक पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने यह धमकी दी है कि वह पाकिस्तानी पुलिस और सेना को अपना निशाना बनाने का अभियान जारी रखेगा, क्योंकि वे मुसलमानों को आतंकवादी करार देकर उनकी हत्या कर रहे हैं।

खरबों रुपये की संपत्ति को लेकर केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड में टकराव

केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2014 के आम चुनाव में देश के मुसलमानों के मत प्राप्त करने के लिए जो मुस्लिम तुष्टिकरण का खेल खेला था, उसके कारण अब केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच टकराव शुरू हो गया है।

इंकलाब (18 फरवरी) के अनुसार 2014 में केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने खरबों रुपये की 123 अचल संपत्तियां, जो भूमि और विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) के नियंत्रण में थीं, को वक्फ बोर्ड को सौंपने का फैसला किया था। इस फैसले को विश्व हिंदू परिषद ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने इस मामले को केंद्र सरकार के हवाले करते हुए यह निर्देश दिया था कि वह इस विवाद को विभिन्न पक्षों से बातचीत करके हल करे। समाचारपत्र ने अपने मुख्य पृष्ठ पर इस संबंध में एक समाचार प्रकाशित करके यह आरोप लगाया है कि खरबों रुपये की इन संपत्तियों को मोदी सरकार अब पुनः अपने नियंत्रण में लेना चाहती है।

इंकलाब (21 फरवरी) के अनुसार दो सदस्यीय समिति द्वारा वक्फ की 123 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के नियंत्रण से बाहर करने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि ये सभी संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड की हैं और वक्फ बोर्ड के तहत ही इनका संचालन किया जा रहा है। इन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। किसी को भी इन वक्फ संपत्तियों से वक्फ बोर्ड को बेदखल करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इन वक्फ संपत्तियों में मस्जिदें, कब्रिस्तान और दरगाहें आदि शामिल हैं। ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड और मुसलमानों की हैं और उन्हें उनसे कोई भी नहीं छीन सकता।

अमानतुल्लाह खान ने यह स्वीकार किया कि इस महीने की 8 फरवरी को एलएंडडीओ ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के नाम एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि इन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, इस तरह का पत्र जारी करने का इस कार्यालय को कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार के इस फैसले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने पुनः अदालत से संपर्क किया था

और अदालत ने केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को इस संबंध में फैसला करने के लिए कहा था। इसके बाद मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। मगर इस रिपोर्ट के बारे में वक्फ बोर्ड को कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद वर्तमान सरकार ने एक दो सदस्यीय कमेटी बना दी, जिसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अभी यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

गौरतलब है कि 1911 में जब दिल्ली देश की राजधानी घोषित की गई, तो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इन सभी संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। इनमें दरगाहें, मस्जिदें और कब्रिस्तान भी शामिल थीं। यह विवाद चलता रहा। पहले यह सरकार के नियंत्रण में थी। बाद में इसे एलएंडडीओ को सौंप दिया गया। 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक आईएएस अधिकारी मुजफ्फर हुसैन बर्नी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। 1980 में कांग्रेस की सरकार ने इन 123 वक्फ संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को वापस करने की बजाय एक रुपये की सलाना लीज पर वक्फ बोर्ड को देने की अधिसूचना जारी कर दी। इस निर्णय के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने अदालत का रूख किया और अदालत ने इस पर स्टे लगा दिया।

रोजनामा सहारा (22 फरवरी) के अनुसार 123 विवादित संपत्तियों को केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। केंद्र सरकार के इस कब्जे के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय का रूख किया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड को केंद्र सरकार के 8 फरवरी के पत्र को चुनौती देने के लिए नई याचिका दायर करनी चाहिए। गौरतलब है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय ने हाल ही में दो सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इन 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है।

इंकलाब (18 फरवरी) के अनुसार ये विवादित संपत्तियां उन क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां भूमि बेशकीमती है। इन क्षेत्रों में कनॉट प्लेस, मथुरा रोड़, लोधी रोड़, मान सिंह रोड, पंडारा रोड, अशोका रोड, जनपथ, करोल बाग, सदर बाजार और दरियागंज आदि शामिल हैं।

इंकलाब (24 फरवरी) ने इस संदर्भ में एक विशेष लेख भी प्रकाशित किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वक्फ संपत्तियों को बर्बाद करने के लिए केंद्र सरकार ने यह सुनियोजित साजिश की है और यह फैसला असंवैधानिक एवं मुस्लिम विरोधी है।

औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने को केंद्र की मंजूरी

मुंबई उर्दू न्यूज (25 फरवरी) के अनुसार केंद्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम को बदलने की मंजूरी दे दी है। अब औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव होगा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है।

गौरतलब है कि 1988 में शिवसेना के तत्कालीन प्रमुख बाल ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखने का ऐलान किया था। जबकि उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने की मांग विभिन्न हिंदू संगठनों ने की थी। छत्रपति संभाजी राजे को औरंगजेब के आदेश से कत्ल कर दिया गया था। 1995 में औरंगाबाद नगरपालिका ने नाम बदलने के प्रस्ताव को स्वीकार करके राज्य सरकार के पास भेजा था। उस समय शिवसेना और भाजपा की संयुक्त सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की थी, जिसे 1996 में औरंगाबाद नगरपालिका के पार्षद मुश्ताक अहमद ने मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 1999 में सरकार का तख्ता पलट जाने के कारण नाम बदलने की योजना खटाई में पड़ गई। 29 जून 2022 को तत्कालीन उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने का फैसला किया था, जिसे 14 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अवैध करार दे दिया और इस संबंध में नए सिरे से अधिसूचना जारी करने की बात कही। अब 24 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम को बदलने की मंजूरी दे दी है।

औरंगाबाद टाइम्स (25 फरवरी) के अनुसार औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका देने वाले मुश्ताक अहमद ने कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का फैसला

गैरकानूनी और असंवैधानिक है। क्योंकि, नाम बदलने का मामला मुंबई उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और अभी तक अदालत का फैसला नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हमें न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद है। नाम बदलने के खिलाफ हमारी कानूनी जंग जारी रहेगी। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि जनता की समस्या से ध्यान हटाने के लिए सरकार भावनात्मक मुद्दों को उछाल रही है।

रोजनामा सहारा (15 फरवरी) के अनुसार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम मुगलिया इतिहास को मिटाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। भाजपा इतिहास से किसी की भूमिका को हटाना नहीं चाहती। हमने एक भी शहर का नाम नहीं बदला। सिर्फ उनकी पुरानी पहचान वापस की है। गौरतलब है कि भाजपा सरकार कई शहरों और रेलवे स्टेशनों का नाम बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। जबकि इलाहाबाद को प्रयागराज में बदल दिया गया है। अब लखनऊ का नाम बदलने की कोशिश हो रही है।

रोजनामा सहारा (28 फरवरी) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने नगरों का नाम बदलने के मामले पर विचार करने के लिए एक आयोग बनाने की मांग को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि देश इतिहास का कैदी बनकर नहीं रह सकता। सेक्युलर हिंदुस्तान सबका है। गौरतलब है कि वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा था कि विदेशी आक्रांताओं ने कई स्थानों के नाम बदल दिए थे। इसलिए यह जरूरी है कि उन शहरों के पुराने नाम बदलने के मामले पर विचार करने के लिए एक आयोग बना दिया जाए। अदालत ने उनकी इस याचिका को रद्द कर दिया है। ■

हरियाणा में दो मुस्लिम युवकों की मौत पर मचा बवाल

पिछले दिनों हरियाणा में दो मुस्लिम युवकों की मौत पर जनभावनाओं को भड़काने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसने अब गंभीर रूप ले लिया है।

हमारा समाज (20 फरवरी) के अनुसार राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले दो युवकों जुनैद और नासिर को जिंदा जलाकर मारने के मामले पर उनके परिवारजनों ने विरोध प्रकट किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस संबंध में राजस्थान पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आठ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा कि वह हरियाणा पुलिस की भूमिका की भी जांच करेगी, जिसने गोवंश की तस्करी के कथित आरोपियों से मारपीट की थी। समाचारपत्र का कहना है कि राजस्थान के भरतपुर जिले के दो नौजवानों को हरियाणा के भिवानी में गायों की तस्करी के मामले में मारा-पीटा गया और उनके वाहन को आग लगाकर उन्हें जीवित जला दिया गया।

राजस्थान पुलिस का कहना है कि वह इस संबंध में हरियाणा पुलिस के सहयोग से जांच कर रही है। मगर एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करके यह आरोप लगाया है कि हरियाणा पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण है और वह निष्पक्ष रूप से जांच नहीं कर रही और आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है।

इत्तेमाद (19 फरवरी) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि राजस्थान सरकार ने इस मामले में टालमटोल किया है। भरतपुर जिले से दो लोगों का अपहरण किया गया था। बाद में उनके जले हुए शव एक कार में पाए गए। उन्होंने कहा कि इस वारदात से जुड़े हुए लोगों का संबंध संघ से संबंधित संगठनों से है, इसलिए हरियाणा सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है।

मुंबई उर्दू न्यूज (22 फरवरी) के अनुसार हरियाणा के मानेसर में आरोपियों के समर्थन में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान पुलिस को यह खुली धमकी दी गई कि अगर पुलिस ने मोनू मानेसर के घर पर छापा डाला तो पुलिस को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इस महापंचायत में मोनू और अन्य आरोपियों का मुकदमा लड़ने के लिए धनराशि इकट्ठा करने का भी अभियान शुरू किया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 फरवरी) के अनुसार मृतकों को कब्र में दफन कर दिया गया है। मगर उनके गांव वालों और परिवारजनों ने कब्रिस्तान में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है और उन्होंने मांग की है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आदि हिंदूवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस घटना की निंदा की है और केंद्र सरकार से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए।

सियासत (25 फरवरी) ने यह दावा किया है कि जुनैद और नासिर का जिस वाहन से अपहरण किया गया था, वह हरियाणा सरकार

का वाहन है। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि अनेक ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें मृतकों से मारपीट की जा रही है।

सियासत (22 फरवरी) के अनुसार समाजवादी पार्टी के नेता आसिफ सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि भीड़ द्वारा मासूम लोगों की हत्याओं को रोकने के लिए सत्तारूढ़ दल कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्योंकि भीड़ को सत्तारूढ़ दल का समर्थन प्राप्त है।

इंकलाब (27 फरवरी) के अनुसार हरियाणा के नूंह में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार ने यह दावा किया है कि वहां पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। हाल ही में मेवात क्षेत्र में उग्र प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें नासिर और जुनैद के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई है और यह कहा गया है कि अगर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो हालात गंभीर हो सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने फिरोजपुर झिरका के एसएचओ और अन्य पुलिस अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि मोनू मानेसर का संबंध बजरंग दल से है, जिसे राज्य सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। समाचारपत्र का यह भी आरोप है कि दबाव के कारण राजस्थान पुलिस ने मोनू का नाम आरोपियों की सूची से हटा दिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 फरवरी) के अनुसार मुख्य आरोपी मोनू मानेसर ने यह दावा किया है कि जुनैद और नासिर जब अपने वाहन से भागने का प्रयास कर रहे थे, तो उनकी टक्कर एक ऑटो रिक्शा से हो गई, जिसके कारण वाहन में आग लग गई और वे जल मरे।

समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि राजस्थान मुस्लिम फोरम ने 17 मुस्लिम संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है, जोकि हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए देशव्यापी अभियान चलाएगा। राजस्थान मुस्लिम फोरम ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस जानबूझकर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देश के मुसलमानों के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल है कि कट्टरपंथियों द्वारा मासूम मुस्लिम युवकों की हत्या को हर कीमत पर रोका जाए।

सरकार से हाजियों को सऊदी रियाल न मिलने पर विवाद

इंकलाब (25 फरवरी) के अनुसार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यह घोषणा की है कि हज यात्रियों को 2100 रियाल अब सरकार की ओर से नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उन्हें यह धनराशि बाजार से खरीदनी होगी। हज कमेटी की इस घोषणा के बाद देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया है।

सियासत (23 फरवरी) के अनुसार सरकार ने यह फैसला किया था कि इस वर्ष हज यात्रा पर होने वाले खर्च में कटौती की जाएगी। मगर हकीकत यह है कि खर्च में कटौती की बजाय इसमें वृद्धि हुई है। नई हज नीति के तहत सरकार ने 2100 रियाल सरकारी दर पर हाजियों को देने से इंकार कर दिया है। इसके अतिरिक्त उन्हें जो सामान उपलब्ध कराया जाता था, उसे भी देना बंद कर दिया गया है। इससे हज यात्रा के खर्च में वृद्धि होगी। हज कमेटी के एक उच्चाधिकारी मोहम्मद याकूब शेख ने इस बात की पुष्टि की है कि सभी राज्यों की हज कमेटियों को सूचित किया गया है कि सरकार द्वारा हाजियों को 2100 रियाल जो सरकारी दर पर दिए जाते थे, वे अब नहीं दिए जाएंगे। हाजियों को यह भी सलाह दी गई है कि सऊदी अरब में खर्च के लिए वे अपने पास 1500 सऊदी रियाल रखें।

गौरतलब है कि गत कई वर्षों से हर हज यात्री को 2100 रियाल की धनराशि सरकार द्वारा दी जाती थी। ताकि वे मक्का और मदीना में खर्च कर सकें। नई हज नीति के तहत सऊदी अरब में हाजियों के ठहरने की अवधि भी 40 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। इसके अतिरिक्त कुर्बानी के लिए हाजियों को जो 800 रियाल दिए जाते थे, उसकी भी व्यवस्था अब हाजियों को ही करनी होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अभी तक हाजियों से लिए जाने वाले खर्च को तय नहीं किया है, मगर अनुमान है कि इस वर्ष प्रत्येक हाजी को 4-5 लाख रुपये की धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। इसके लिए हाजियों

को पहली किस्त के रूप में 1 लाख 70 हजार रुपये मार्च महीने में जमा करनी पड़ेगी। जबकि शेष धनराशि हज पर जाने से पहले जमा करनी पड़ेगी।

सियासत (20 फरवरी) के अनुसार केंद्रीय हज कमेटी के पूर्व सदस्य नौशाद अहमद आजमी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी को एक पत्र लिखकर यह मांग की है कि अभी तक हज जाने से पूर्व हाजियों को सरकार द्वारा 2100 रियाल दिए जाते थे, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इससे हाजियों को बहुत परेशानी होगी। इसलिए केंद्र सरकार को पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल करना चाहिए।

इंकलाब (28 फरवरी) के अनुसार विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है।

टीपू सुल्तान के नाम पर नया विवाद

रोजनामा सहारा (28 फरवरी) के अनुसार कर्नाटक में टीपू सुल्तान के नाम पर एक नया विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटक के यादगीर जिले के एक सर्कल का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया था, जिसका विरोध विभिन्न हिंदू संगठनों ने किया है। उन्होंने मांग की है कि टीपू सुल्तान का नाम हटाकर उस सर्कल का नया नाम वीर सावरकर रखा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे राज्यभर में उग्र प्रदर्शन करेंगे। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त शालुम हुसैन ने पूरे जिले में धारा 144 को लागू कर दिया है और आसपास के जिलों से भारी संख्या में पुलिस बल लाकर उन्हें तैनात कर दिया गया है, ताकि शांति व्यवस्था को बरकरार रखा जा सके। हिंदू संगठन शिवाजी सेना ने सर्कल का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का विरोध किया है और कहा है कि अगर इस नाम को नहीं बदला गया, तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि 1996 में इसका नाम मौलाना अबुल कलाम सर्कल रखा गया था। लेकिन 2010 में नगर निगम ने इसका नाम बदलकर टीपू सुल्तान रख दिया।

इंकलाब (16 फरवरी) के अनुसार भाजपा के कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने एक विवादित बयान दिया है और कहा है कि हम टीपू सुल्तान के नाम लेने वालों को सहन नहीं करेंगे और उन्हें अपने क्षेत्र से भगाकर ही दम लेंगे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम भगवान राम और हनुमान के भक्त हैं, टीपू सुल्तान की औलाद नहीं हैं। इसलिए हम टीपू की औलादों को वहीं वापस भेजेंगे, जहां से वे आए थे। टीपू से मोहब्बत करने वालों को यहां नहीं रहना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पूर्व उन्होंने एक और विवादित बयान में कहा था कि राज्य का अगला चुनाव टीपू बनाम सावरकर के नाम पर लड़ा जाएगा।

इंकलाब (18 फरवरी) के अनुसार इस वर्ष कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसलिए भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए पिछली बार की तरह पुनः टीपू सुल्तान का विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा के राज्य अध्यक्ष के बयान को चुनौती देते हुए बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मजार पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम टीपू के विरोधियों से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद उन्होंने संवाददाताओं को कहा कि हम टीपू सुल्तान के अनुयायी हैं। क्योंकि वे इस देश के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए अपनी शहादत दी। उन्होंने कहा कि हम नाथूराम गोड़से की विचारधारा का आखिरी दम तक विरोध करते रहेंगे।

इत्तेमाद (21 फरवरी) के अनुसार कर्नाटक में शीघ्र ही चुनाव होने वाले हैं, इसलिए भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक कार्ड खेलने की तैयारी शुरू कर दी है। बहुसंख्यक मतों के ध्रुवीकरण के लिए उन्होंने फिर से टीपू सुल्तान का नाम उछालना शुरू कर दिया है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष के बयान की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा है कि क्या वे कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष के बयान से सहमत हैं? समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि टीपू सुल्तान एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। मगर अब सांप्रदायिक ताकतें उन्हें हिंदू दुश्मन के रूप में पेश कर रही हैं। हालांकि, उन्होंने देश की आजादी के लिए अंग्रजों से संघर्ष किया था। समाचारपत्र ने भाजपा से आग्रह किया है कि वह सांप्रदायिक तनाव को हवा देने की कोशिश न करे। क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हो सकता है।

कराची में पुलिस मुख्यालय पर आतंकी हमला

रोजनामा सहारा (19 फरवरी) के अनुसार कराची में पुलिस मुख्यालय पर इस्लामिक आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में कम-से-कम 10 लोग मारे गए, जिनमें से सात पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बल के कर्मचारी थे। पुलिस की गोली से तीन आतंकवादी भी मौके पर मारे गए। इस हमले में कम-से-कम 19 अन्य लोग घायल हुए। सिंध रेंजर्स के एक प्रवक्ता ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि तीन आक्रमणकारी पुलिस हेडक्वार्टर में एक कार में सवार होकर आए थे। इनमें से एक आत्मघाती आतंकवादी ने पुलिस मुख्यालय में घुसने के बाद स्वयं को धमाके से उड़ा लिया। इस धमाके में सात पुलिसकर्मी मौके पर ही मारे गए और दो दर्जन के लगभग घायल हो गए। बाद में पुलिस ने दो अन्य आतंकवादियों को भी गोली से उड़ा दिया। इस हमले के बाद कराची में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। डीआईजी इरफान बलूच ने कहा कि आक्रमणकारी पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने पुलिसवालों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना पर दु:ख प्रकट किया है।

इंकलाब (15 फरवरी) के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना की एक विशेष टीम ने प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से संबंधित चार आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। जबकि एक दर्जन आतंकवादी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए।

रोजनामा सहारा (27 फरवरी) के अनुसार बलूचिस्तान के जिला बरखान में आतंकवादियों के एक बम धमाके में चार लोग मारे गए और एक दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस उपायुक्त अब्दुल्ला खोसा ने बताया कि आतंकवादियों ने एक मोटरसाइकिल में बम लगा रखा था, जिसे उन्होंने रिमोर्ट से उड़ा दिया। मरने वाले सभी पुलिसकर्मी हैं।

सियासत (19 फरवरी) के अनुसार प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने धमकी दी है कि वे पाकिस्तानी सेना पर हमलों का सिलसिला तेज कर रहे हैं। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा है कि पुलिसकर्मियों को हमारे साथ नहीं उलझना चाहिए। हमारा निशाना पाकिस्तान की गुलाम सेना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना फर्जी मुठभेड़ की आड़ में लोगों को मौत के घाट उतार रही है। इसे हम सहन नहीं करेंगे और इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे।

रोजनामा सहारा (21 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यह आरोप लगाया है कि जब तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अपनी भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ होने से रोकने के लिए सख्ती से कोई कार्रवाई नहीं करती, तब तक पाकिस्तान में आतंकियों का उन्मूलन करना संभव नहीं है।

ईरान का राजदूत जर्मनी से निष्कासित

इंकलाब (23 फरवरी) के अनुसार तेहरान की एक अदालत द्वारा एक जर्मन नागरिक को मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ जर्मनी ने विरोध प्रकट किया है और ईरान के राजदूत को देश से निष्कासित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में रहने वाले एक जर्मन मूल के नागरिक जमशेद शरमाहद को ईरानी अदालत ने 2008 में एक मस्जिद में हुए धमाके के सिलसिले में सजा-ए-मौत सुनाई है। इस धमाके में कम-से-कम आठ नमाजी मारे गए थे। ईरान सरकार ने आरोप लगाया है कि जमशेद शरमाहद का संबंध एक गुप्त संगठन से है, जोकि ईरान में इस्लामिक सरकार का तख्ता पलटकर अमेरिका में रह रहे ईरान के शाही परिवार को सत्ता में लाना चाहता है। ईरान सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि इस संगठन को अमेरिका का सहयोग और समर्थन प्राप्त है। न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स से इस संगठन के रेडियो प्रसारण किए जाते हैं, जिसमें ईरानी जनता को सरकार के खिलाफ भड़काया जाता है।

गौरतलब है कि अगस्त 2020 में ईरान ने जमशेद शरमाहद की गिरफ्तारी की पुष्टि की थी। जबकि जमशेद के परिवारजनों का कहना था कि दुबई में अपहरण करके जमशेद शरमाहद को ईरानी गुप्तचर गुप्त रूप से ईरान ले गए थे, जहां पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उसे मौत की सजा दी गई।

जापान अमेरिका से मिसाइल खरीदेगा

रोजनामा सहारा (28 फरवरी) के अनुसार जापान सरकार अमेरिका से 400 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल खरीद रही है। इस संबंध में जापान सरकार ने अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब है कि जनवरी में जापान के प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान इस बात पर समझौता हुआ था कि अमेरिका जापान को सैनिक उपकरण सप्लाई करेगा, ताकि वह चीन की आक्रामक गतिविधियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके। जापानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार जापान जो मिसाइल खरीद रहा है, वह 1600 किलोमीटर दूर उत्तरी कोरिया और चीन को अपना निशाना बना सकता है।

चीन द्वारा पाकिस्तान को 58 हजार करोड़ का कर्ज

रोजनामा सहारा (27 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए चीन ने 70 करोड़ डॉलर यानि 58 हजार करोड़ रुपये का कर्ज देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इंकार कर दिया था। चीन द्वारा पाकिस्तान को कर्ज देने के कारण पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने चीन द्वारा पाकिस्तान को कर्ज देने की पुष्टि करते हुए कहा है कि इससे पाकिस्तान के आर्थिक संकट को दूर करने में सहायता मिलेगी।

ब्रिटिश अखबार 'द गार्डियन' के अनुसार पाकिस्तान इस समय 83 लाख करोड़ के कर्ज में दबा हुआ है। विदेश सूत्रों के अनुसार चीन ने 70 करोड़ डॉलर का जो कर्ज दिया है वह पाकिस्तान के कुल कर्ज का एक प्रतिशत से भी

पाकिस्तान पर अब भी पश्चिम एशियाई बैंक का 9 अरब डॉलर का कर्ज है। कर्ज देने वालों में बैंक ऑफ चाईना, आईसीबीसी और चाईना विकास बैंक शामिल हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में पाकिस्तान को चीन से लिए गए कर्ज पर 13 हजार करोड़ रुपये ब्याज के रूप में अदा करने पड़े थे। जबकि इससे पहले के साल में पाकिस्तान को 995 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में चीन को अदा करने पड़े थे।

कम है। चीन ने पाकिस्तान को दिए गए कर्ज पर कम ब्याज वसूलने की भी घोषणा की है।

अमेरिका द्वारा यूक्रेन के लिए 450 मिलियन डॉलर की सहायता

कौमी तंजीम (22 फरवरी) के अनुसार अमेरिका ने यूक्रेन को 450 मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक वक्तव्य के अनुसार रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के एक वर्ष गुजर चुके हैं और अब भी रूस यूक्रेन को गुलाम बनाने में सफल नहीं हुआ है। राष्ट्रपति बाइडेन के अनुसार अमेरिका अगस्त 2021 से यूक्रेन के लिए अमेरिकी अस्त्र-शस्त्र सप्लाई कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस सहायता की घोषणा हाल ही में यूक्रेन दौरे के दौरान की थी। अमेरिका ने यूक्रेन को रॉकेट और आधुनिक तोपें भी सप्लाई करने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के 50 देश यूक्रेन की सहायता के लिए खुलकर मैदान में आ गए हैं। हम हर हालत में यूक्रेन की सहायता करेंगे, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों।

सऊदी अरब और इराक के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर

इंकलाब (22 फरवरी) के अनुसार सऊदी अरब और इराक के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इराक की सरकारी संवाद समिति 'आईएनए' के अनुसार सऊदी अरब के गृहमंत्री अब्दुल अजीज बिन सउद और इराक के गृहमंत्री अब्दुल अमीर अल-शम्मरी ने रियाद में एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 1983 के बाद यह पहला अवसर है जब दोनों देशों ने किसी सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हों। इस समझौते के अनुसार सऊदी अरब इराक को सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, ताकि वह अपनी सेना को आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्रों से लैश कर सके। इसके अतिरिक्त दोनों देश सुरक्षा से संबंधित जानकारियों का भी आपस में आदान-प्रदान करेंगे। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी 'एसपीए' के अनुसार इस समझौते से दोनों देशों के बीच नए युग की शुरुआत होगी और इससे अरब एकता को बल मिलेगा।

ईरान और चीन के बीच समझौते

इत्तेमाद (16 फरवरी) के अनुसार हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अचानक चीन का दौरा किया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच 20 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। चीन सरकार ने यह घोषणा की है कि चीन ईरान की रक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर तरह का सहयोग करेगा, ताकि वह पश्चिमी देशों की आक्रामक कार्रवाई से अपनी रक्षा कर सके। चीनी समाचार एजेंसी के अनुसार ईरान से जो समझौते किए गए हैं, उसका संबंध अंतरराष्ट्रीय व्यापार, चिकित्सा, पर्यटन, आईटी आदि से है। इन समझौतों के अनुसार चीन ईरान में हवाई

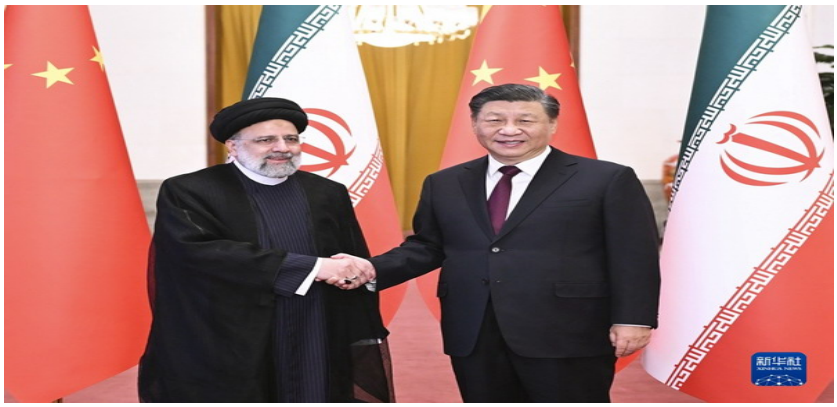

अड्डों और रेल के विकास में सहयोग करेगा। तेहरान और मशहद के बीच तेज रफ्तार ट्रेन को चलाने की व्यवस्था की जाएगी। जबकि मकरान के तट पर भी चीन बंदरगाहों को विकसित करने में सहयोग देगा। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए चीन भारी मात्रा में पूंजी निवेश करेगा।

गौरतलब है कि इससे पूर्व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का स्वागत किया और इस अवसर पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। ईरान के राष्ट्रपति के साथ जो उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल चीन के दौरे पर गया है, उनमें ईरान के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, उद्योग मंत्री और कृषि मंत्री के अतिरिक्त ईरानी केंद्रीय बैंक के प्रमुख भी शामिल हैं। इब्राहिम रईसी ने चीनी संवाद समिति को बताया कि ईरान और चीन ने आपस में सामरिक सहयोग में वृद्धि करने का फैसला किया है। ईरान के राष्ट्रपति ने चीनी संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात की और यह आशा व्यक्त की कि चीनी और ईरानी सहयोग से एशिया के इतिहास में नए युग की शुरुआत होगी। ■

ईरान की परमाणु शक्ति में वृद्धि से अमेरिका परेशान

इंकलाब (27 फरवरी) के अनुसार अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने यूरेनियम को संवर्धन करने की अपनी क्षमता में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर ली है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अमेरिकी क्षेत्रों में ईरान की बढ़ती हुई परमाणु क्षमता के बारे में चिंता प्रकट की जा रही है। अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी 'सीआईए' के अनुसार ईरान का लक्ष्य 90 प्रतिशत यूरेनियम में संवर्धन करने का है।

इसके अतिरिक्त ईरान बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के विकास में भी पूरी गति से लगा हुआ है। इसलिए अमेरिका को ईरान को लेकर अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए। दूसरी ओर, ईरान की मिलिशिया पासदाराने इंकलाब के एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने दावा किया है कि हम दो हजार किलोमीटर तक अमेरिकी जहाजों को अपना निशाना बना सकते हैं। एयरोस्पेस फोर्स के

कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादेह ने ईरानी टेलीविजन के एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए ईरान की एयरोस्पेस क्षमता पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता। मगर उस पर जबरन जंग लादी गई, तो वह अमेरिका का नामोनिशान मिटाने की स्थिति में है।

ईरान के एक अन्य उच्च सैनिक अधिकारी जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि तेहरान बड़ी तेज गति से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार करने में लगा हुआ है, ताकि हम अपने देश की रक्षा कर सकें। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों के दबाव के आगे घुटने नहीं टेकेगा और न ही उनके द्वारा ईरान में जो अशांति फैलाई जा रही है, उसे ही सहन करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान में अशांति फैलाने वालों को बड़ी सख्ती से कुचल दिया जाएगा। ■

सीरिया पर इजरायल का मिसाइल हमला

इंकलाब (20 फरवरी) के अनुसार इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क को रॉकेट के हमलों का निशाना बनाया, जिसमें कम-से-कम 15 लोग मारे गए और दस जख्मी हो गए। बताया जाता है कि जिस इमारत को इजरायल ने अपना निशाना बनाया है उसमें रॉकेट केंद्र स्थित था। इस केंद्र में ईरान द्वारा सीरिया को सप्लाई किए गए रॉकेटों का भंडार रखा गया था। इस हमले में मारे जाने वालों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने इस संबंध में किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है। लेकिन इजरायल ने इस हमले की पुष्टि की है और कहा है कि ईरान द्वारा सीरिया को हाल ही में भारी मात्रा में जो अस्त्र-शस्त्र सप्लाई किए गए थे, उन्हें तबाह करने के लिए यह कार्रवाई की गई थी।

सीरिया सरकार ने कहा है कि यह आवासीय क्षेत्र था, जिसे जानबूझकर इजरायल ने अपना निशाना बनाया है। मरने वालों में अधिकांश नागरिक हैं। इजरायली समाचारपत्रों में इस बात की पुष्टि की गई है कि इजरायल ने हाल ही में सीरिया के हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं, ताकि सीरिया में ईरान द्वारा सप्लाई किए जा रहे अस्त्र-शस्त्रों को तबाह किया जा सके। ■

सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले को ईरान ने दिया ईनाम

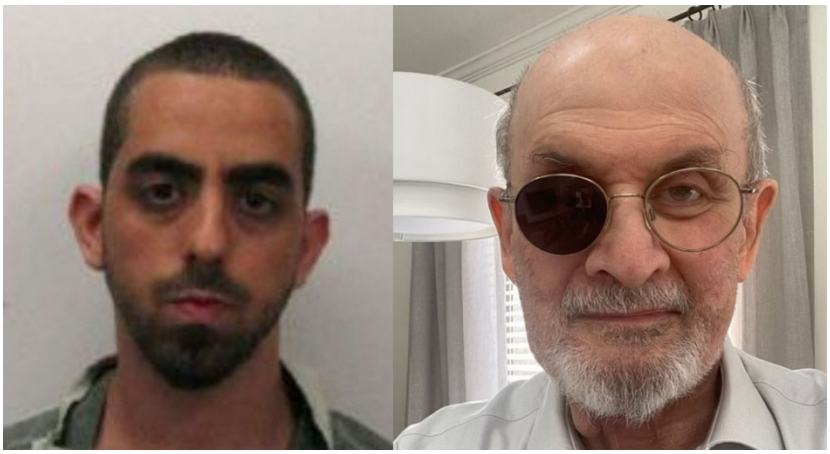

औरंगाबाद टाइम्स (22 फरवरी) के अनुसार ईरान में इमाम खुमैनी से संबंधित एक संगठन ने लेखक सलमान रुश्दी पर घातक हमला करने वाले 24 वर्षीय नौजवान को एक हजार मुरब्बा भूमि ईनाम में देने की घोषणा की है। इस संगठन के सचिव मोहम्मद इस्माइल जरेई ने अमेरिकी मूल के 24 वर्षीय शिया युवक हादी मतार को यह भूमि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इस युवक ने इस्लाम और रसूल के सम्मान की खातिर सलमान रुश्दी पर हमला करके उन्हें उम्र भर के लिए अपंग बना दिया है। अब उनकी हालत मुर्दे से भी बदतर है। वे चलती फिरती लाश बन गए हैं। उनकी एक आंख और एक बाजू को काटना पड़ा है। इसलिए यह लड़का इमाम खुमैनी द्वारा घोषित ईनाम को पाने का हकदार है।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष अमेरिका में इस युवक ने सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला किया था। हमले के बाद उसे सुरक्षाकर्मियों ने दबोच लिया था और उसका मुकदमा अभी अदालत में विचाराधीन है। ईरानी फाउंडेशन के सचिव ने कहा है कि हादी क्योंकि हिरासत में है, इसलिए उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस ईनाम को स्वीकार कर सकता है। गौरतलब है कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह रुहोल्ला खुमैनी ने 34 वर्ष पूर्व 'द सेटेनिक वर्सेज' नामक विवादित पुस्तक के सिलसिले में सलमान रुश्दी को रसूल का अपमान करने का दोषी करार देते हुए हुए उनकी हत्या करने का फतवा जारी किया था। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति रुश्दी की हत्या करेगा, उसे ईनाम स्वरूप एक करोड़ रियाल दिया जाएगा।

दाढ़ी काटने के आरोप में चार छात्र निष्कासित

मुंबई उर्दू न्यूज (21 फरवरी) के अनुसार दारुल उलूम देवबंद ने दाढ़ी मुंडाने के आरोप में चार छात्रों को संस्थान से निष्कासित कर दिया है। दारुल उलूम के प्रबंधकों ने कहा है कि अगर किसी छात्र की दाढ़ी नहीं होगी, तो उसे इस संस्थान में दाखिला नहीं दिया जाएगा। दारुल उलूम देवबंद के शिक्षा प्रबंधक मौलाना हुसैन अहमद हरिद्वारी ने यह घोषणा की है कि दारुल उलूम देवबंद में वही छात्र प्रवेश ले सकते हैं या इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जो इस्लामिक लिबास और तरीकों को अपना सकें। दाढ़ी रखना इस्लाम का एक हिस्सा है और अगर कोई अपनी दाढ़ी को काट देता है या उसे साफ करवा देता है, तो यह इस्लाम के अनुसार हराम हरकत है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा। ■

शाहजहां की कब्र पर 1480 मीटर लंबी चादर

इंकलाब (20 फरवरी) के अनुसार ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां का 368वां उर्स मनाया गया। इस अवसर पर बादशाह के मकबरे पर 1480 मीटर लंबी चादर चढ़ाई गई। उर्स के दौरान क्योंकि ताजमहल में प्रवेश मुफ्त था, इसलिए एक लाख से अधिक लोगों ने ताजमहल को देखा। उर्स कमेटी के अनुसार यह चादर सतरंगी थी और इसे विभिन्न लोगों ने पेश किया था। उर्स के मौके पर शाहजहां और मुमताज महल की कब्रों को भी दर्शकों के लिए खोल दिया गया। इस अवसर पर सरकार ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की थी। ■

मोटे लोगों के हज करने पर पाबंदी

रोजनामा सहारा (17 फरवरी) के अनुसार मिस्र की सरकार ने मोटे व्यक्तियों के हज करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मिस्र की स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग हृदय रोगी होंगे या जिन्हें कैंसर, फेफड़ों या गुर्दों की बीमारी होगी, उन्हें भी हज यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। मिस्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं के हज करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

बिहार में मदरसों के अनुदान पर रोक

इंकलाब (16 फरवरी) के अनुसार बिहार के 2459 मदरसों की जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए पटना उच्च न्यायालय ने चार महीने की अवधि को स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त जांच रिपोर्ट मिलने तक बिहार के 609 मदरसों को अनुदान देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौरतलब है कि अलाउद्दीन बिस्मिल नामक एक व्यक्ति की याचिका पर पटना उच्च न्यायालय ने जनवरी महीने में फर्जी कागजातों के आधार पर अनुदान पाने वाले मदरसों को अनुदान देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि जब तक सीआईडी द्वारा इन मदरसों की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उन्हें सरकार द्वारा अनुदान न दी जाए।

केरल के मुख्यमंत्री द्वारा तीन तलाक का समर्थन

मुंबई उर्दू न्यूज (22 फरवरी) के अनुसार केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने की आलोचना करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर मुसलमानों को अपना निशाना बना रही है। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म और आस्था के अनुसार आचरण करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में सरकार को तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्य धर्मों में तलाक को दीवानी मामला माना जाता है। मगर केंद्र सरकार ने

2017 में मुसलमानों के लिए तीन तलाक पर पाबंदी लगा दी और अगले वर्ष राष्ट्रपति ने इस कानून का अनुमोदन भी कर दिया, जिसके तहत तीन तलाक को फौजदारी मामला बना दिया गया और उसमें जुर्माने और तीन वर्ष की सख्त कैद की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के विभिन्न वर्गों में इस तरह का भेदभाव करना उचित नहीं है। इसलिए उनकी सरकार इसे राज्य में लागू नहीं करेगी।

RNI No. DELHIN/2017/72722

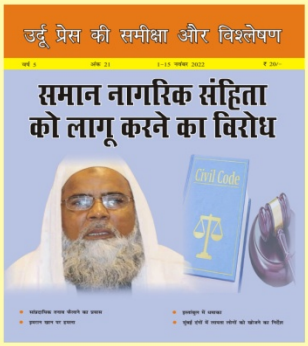

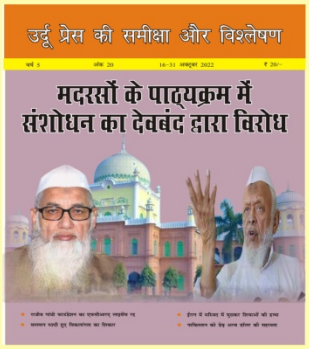

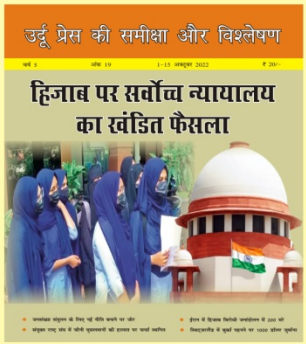

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in